तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पाबूराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर)** सू.अ.अपील संख्या 132/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.23	अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम सुथार निवासी ग्राम हरियाढाणा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2023 में वर्तमान में प्रार्थी के ग्राम हरियाढाणा में जो पानी की पाईपलाईन डाली जा रही है, उस योजना के नाम की सूची (2) अन्य बिन्दूओं, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	